भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2112
उत्तर देने की तारीख-11/03/2026

एनईपी, 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति

2112 **श्री मल्लिकार्जुन खरगे:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति, जिसमें वर्ष 2035 तक उच्चतर शिक्षा जीईआर को 50 प्रतिशत तक बढ़ाना, वर्ष 2030 तक 100 प्रतिशत स्कूल जीईआर प्राप्त करना, वर्ष 2025 तक सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (एफएलएन) प्राप्त करना, वर्ष 2030 तक 100 प्रतिशत ईसीसीई कवरेज प्राप्त करना और वर्ष 2025 तक 50 प्रतिशत शिक्षार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है;
(ख) क्या सरकार ने लक्ष्य पूरा करने में देरी के कारणों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इन एनईपी लक्ष्यों को पाने में तेज़ी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, विशेषकर उन राज्यों में जो पीछे चल रहे हैं; और
(घ) क्या सरकार हाल के डेटा से धीमी प्रगति के संकेत को देखते हुए एनईपी लक्ष्यों के लिए समय-सीमा में बदलाव का प्रस्ताव रखती है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है। एनईपी 2020 इसके कार्यान्वयन के लिए अलग-अलग समय-सीमा के साथ-साथ सिद्धांत और कार्यप्रणाली प्रदान करती है। तदनुसार, शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों, शिक्षा से संबंधित मंत्रालयों, स्कूल और उच्चतर शिक्षा के नियामक और कार्यान्वयन निकायों जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/स्कूलों आदि ने एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए पहल करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा, एनईपी 2020 का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, देश के बहुसंख्य स्कूल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। केन्द्र सरकार केन्द्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है जिसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों में बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने और नामांकन में वृद्धि हेतु विभिन्न कार्यकलापों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता/अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक के नए स्कूलों का सुदृढ़ीकरण; स्कूल अवसंरचना को मजबूत करना; कक्षा 12 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना उन्नयन करना और संचालन नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के नाम से आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों की स्थापना; प्रधानमंत्र जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत छात्रावास; परिवहन/एस्कॉर्ट सुविधा, नामांकन अभियान चलाना; मौसम अनुरूप छात्रावास/आवासीय शिविर; स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान; निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान करना; प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के तहत बालवाटिका से कक्षा 8 तक गर्म पका हुआ भोजन; विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक यंत्रों और उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता/अनुदान आदि शामिल है।

शिक्षा प्लस के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडाइस +) वर्ष 2024-25 के अनुसार, भारत की स्कूल शिक्षा प्रणाली में प्रमुख शैक्षिक संकेतकों में माप योग्य सुधार देखा गया। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 की तुलना में प्रारंभिक (3.7% से 2.3%), मिडिल (5.2% से 3.5%), और माध्यमिक स्तर (10.9% से 8.2% तक) में ड्रॉपआउट दर में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। वर्ष 2024-25 में सभी स्तरों पर छात्र प्रतिधारण दर में सुधार हुआ। बुनियादी स्तर 98.0 प्रतिशत से बढ़कर 98.9 प्रतिशत हो गया। प्रारंभिक स्तर 85.4 प्रतिशत स बढ़कर 92.4 प्रतिशत हो गया। मिडिल स्तर 78.0 प्रतिशत से बढ़कर 82.8 प्रतिशत हो गया। माध्यमिक स्तर 45.6 प्रतिशत से बढ़कर 47.2 प्रतिशत हो गया। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में मिडिल और माध्यमिक स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि दर्ज की गई। मिडिल स्तर 89.5 फीसदी से बढ़कर 90.3 फीसदी पर पहुंच गया। माध्यमिक स्तर 66.5 प्रतिशत से बढ़कर 68.5 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि शिक्षा तक बढ़ी हुई पहुंच और उच्च ग्रेड में छात्रों की भागीदारी में वृद्धि को परिलक्षित करती है।

सरकार ने उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 2014 से और अधिक उच्चतर शिक्षा संस्थानों को खोलना, 16 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), 8 केन्द्रीय विश्वविद्यालय (सीयू), 8 भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), 2 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), 1 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और 12 नए एम्स स्थापित किए गए हैं; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों और वंचित क्षेत्रों सहित छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति योजनाओं को लागू करना; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा बेहतर प्रदर्शन करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (एनएएसी और एनआईआरएफ रैंकिंग के आधार पर) को गुणवत्ता मानकों के आधार पर पूर्ण मुक्त दूरस्थ शिक्षा/ऑनलाइन कार्यक्रम प्रदान करने की अनुमति देना; छात्रों को अपने अधिगम पथ को चुनने की सुविधा के लिए उच्चतर शिक्षा प्रणाली में अत्यधिक आवश्यक लचीलापन

और समुचित निकास के साथ-साथ प्रवेश विकल्प प्रदान करना; एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की अनुमति देना; एक शैक्षणिक वर्ष में दो प्रवेश चरणों के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की अनुमति देना; स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (स्वयम) जो कई विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले संरचित ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है; प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी शिक्षार्थियों के लिए कभी भी, कहीं भी अधिगम के अवसर प्रदान करना, स्वयम प्लेटफॉर्म का उपयोग करके नियमित पाठ्यक्रमों में 40% तक क्रेडिट की अनुमति देना; और 13 भाषाओं में जेईई, एनईईटी (यूजी) और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) परीक्षाएं आयोजित करना, और विशेष रूप से स्थानीय / ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों की सुविधा के लिए भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना शामिल हैं।

उच्चतर शिक्षा में एक वार्षिक वेब आधारित 'अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई)' उच्चतर शिक्षा पर व्यापक डेटा स्रोत है। एआईएसएचई 2022-23 (अनंतिम) की रिपोर्ट के अनुसार उच्चतर शिक्षा में नामांकन वर्ष 2014-15 में 3.42 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 4.46 करोड़ हो गया है, जिसमें महिला नामांकन 1.57 करोड़ से बढ़कर 2.18 करोड़ हो गया है। कुल जीईआर वर्ष 2014-15 में 23.7 से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 29.5 हो गया है।

बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के अनुसरण में, सरकार ने 11,828.79 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ आंध्र प्रदेश (आईआईटी तिरुपति), केरल (आईआईटी पलक्कड़), छत्तीसगढ़ (आईआईटी भिलाई), जम्मू और कश्मीर (आईआईटी जम्मू) और कर्नाटक (आईआईटी धारवाड़) में स्थापित पांच नए आईआईटी के अनुसंधान पार्क के निर्माण सहित शैक्षणिक और अवसंरचना क्षमता के विस्तार को स्वीकृति दी है, जिससे अतिरिक्त 6500 छात्रों के लिए शिक्षा की सुविधा सुगम होगी। उपरोक्त के अलावा, सरकार ने उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) के माध्यम से शैक्षणिक और छात्रावास बुनियादी ढांचे के विस्तार और आईआईटी जोधपुर, आईआईटी पटना, आईआईटी इंदौर के लिए अनुसंधान पार्क के विकास के लिए कुल 1942 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

केंद्रीय बजट 2026-27 में एसटीईएम संस्थानों/पाठ्यक्रमों में लड़कियों के नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण /पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरीडोर के आसपास 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप और हर जिले में 1 बालिका छात्रावास स्थापित करने की भी घोषणा की गई है।

व्यावसायिक शिक्षा के संवर्धन हेतु, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना को लागू कर रहा है, जो अन्य बातों के साथ-साथ कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए कौशल प्रदर्शन शुरू करने और कक्षा 9 से 12 के लिए एनएसक्यूएफ-संरेखित कौशल पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहयोग करके व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देता है। माध्यमिक स्तर पर, छात्र कौशल मॉड्यूल को एक अतिरिक्त विषय के रूप में चुनते हैं, जबकि वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर, कौशल पाठ्यक्रम वैकल्पिक विषयों के रूप में कार्य करते हैं। कुल 138 स्वीकृत नौकरी भूमिकाएँ प्रदान की जाती है, और प्रत्येक में संचार, स्व-प्रबंधन, आईसीटी, उद्यमिता और हरित कौशल को कवर करने वाला एक रोजगार कौशल मॉड्यूल शामिल है। विभाग स्कूलों में पीएमकेवीवाई 4.0 को भी लागू कर रहा है, जिसमें 350 केंद्रीय विद्यालय कौशल प्रशिक्षण

प्रदान कर रहे हैं। 21,700 से अधिक स्कूल अब नवाचार, उद्यमिता, महत्वपूर्ण सोच और आईपी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए स्कूल इनोवेशन काउंसिल की मेजबानी करते हैं।

एनसीईआरटी ने कौशल शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करने के लिए ई-अधिगम सामग्री, वीडियो और वर्चुअल कौशल प्रयोगशाला (वीएसएल) विकसित किए हैं, विशेष रूप से जहां भौतिक संसाधन सीमित हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी छात्र अकादमिक शिक्षा के साथ-साथ व्यावहारिक, नौकरी के लिए तैयार कौशल विकासित कर सकते हैं।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) युवा पीढ□□ के कौशल और दक्षता को उन्नत करने और उपलब्ध विभिन्न कैरियर विकल्पों का पता लगाने के लिए कक्षा 9-10 में 22 और कक्षा 11-12 में 43 कौशल विषय प्रदान करता है।

नीति आयोग द्वारा अटल नवाचार मिशन (एआईएम) के तहत, एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित), रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और 3डी प्रिंटिंग को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई हैं।

आईआईटी मद्रास के सहयोग से शुरू किया गया स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (स्वयम), प्रमुख संस्थानों द्वारा तैयार की गई सामग्री को प्रदर्शित करता है और "कोई भी, कहीं भी, किसी भी समय" अधिगम दृष्टिकोण के साथ निःशुल्क उपलब्ध है। 5.64 करोड़ से अधिक के संचयी नामांकन के साथ 4400 से अधिक अद्वितीय पाठ्यक्रम प्रदान किए गए हैं। कौशल विकास का समर्थन करने के लिए, स्वयम प्लस पोर्टल भी प्रारंभ किया गया है, जो कार्यबल के कौशल को बढ़ाने और फिर से कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्तमान में, 16 क्षेत्रों में 480 से अधिक पाठ्यक्रम इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।

शिक्षा मंत्रालय ऑन द जॉब प्रशिक्षण प्रदान करने और युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) भी लागू करता है।

*****